न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

स्वत्व वाद सं0-92/23
सीआईएस संख्या -92/23

आदेश

दिनांक 12.2.2024

दिनांकः 12.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 28. 11.2023 को आदेश 22 नियम 4 तथा धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 6 नवल किशोर पाण्डेय की मृत्यु हो गयी है । यह कि वह अपने पीछे अपनी पत्नी एवं 3 पुत्र तथा 1 पुत्री को छोड़कर मर गए अतः प्रतिवादी सं0 6 का नाम कलमजद होना जरूरी है। और उनके स्थान पर उनके जीवित वारिसों का प्रतिस्थापन आवश्यक है अतः आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन का मौखिक विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 6 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं0 6 नवल किशोर पाण्डेय की मृत्यु हो गयी है । यह कि वह अपने पीछे अपनी पत्नी एवं 3 पुत्र तथा 1 पुत्री को छोड़कर मर गए अतः प्रतिवादी सं0 6 का नाम कलमजद होना जरूरी है। मामले में आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है आवेदन समय से दिया गया है प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि मृत प्रतिवादी 06 का नाम कलमजद किया जाए और आवेदन पत्र में वर्णित प्रतिवादी के वारिसों को प्रतिवादी सं0 6 सिरिज के रूप में क्रमवार प्रस्थापित करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।